प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 की अवधि को आच्छादित करते हुए बाणसागर नहर परियोजना एवं चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवदेन में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान संज्ञान में आये बिन्दुओं के साथ–साथ ऐसे बिन्दु, जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में आये थे परन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे, तथा वर्ष 2020–21 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी, जहां ऐसा किया जाना आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों अनुरूप सम्पादित की गयी है।